

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

NOTIFICATION

Dated: The 10th November of 2021

No. F.3(107)/Fin.(Exp.-I)/2021-22/DS-I/295 -Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in the exercise of power conferred by sub-section (1) of section 103 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Fourth Schedule appended to the said Act namely :-

AMENDMENTS


1. In the Fourth Schedule, for the existing row pertaining to serial No. 2, the following rows shall be substituted, namely :-

“

2.	(i)	Liquor (Foreign and Indian Made Foreign liquor) for consumption “off” the premises (under Excise Policy, 2021-22, from Wholesaler to retailer w.e.f. 10.11.2021)	01 paise in the rupee
	(ii)	Liquor (Foreign and Indian Made Foreign liquor) for consumption “off” the premises, by retailer: -	
	a.	Till 16.11.2021.	25 paise in the rupee
	b.	w.e.f. 17.11.2021	01 paise in the rupee
	(iii)	Liquor (Foreign and Indian Made Foreign liquor) for consumption “on” the premises (Hotels, Clubs and Restaurants)	25 paise in the rupee

Note: The serial No. 2 of the Fourth Schedule of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), last amended vide Notification No. F.3(10)/Fin(Rev-I)/2020-21/ds-VI/178 dated 09.06.2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(107)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/295

Dated: The 10th November of 2021

Copy forwarded for information to:-

1. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of N.C.T. of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 10/11/2021

अधिसूचना

सं.फा.03(107)/वित्त(व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/295 - जबकि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल का मत है कि आम जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-


संशोधन

1. चौथी अनुसूची में, क्रम सं० 2, से संबंधित मौजूदा पंक्ति के लिए, निम्नलिखित पंक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

2.	(i)	परिसर "के बाहर" उपभोग के लिए लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर) थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता तक 10.11.2021 से प्रभावी)	रुपये में 01 पैसे
	(ii)	परिसर "के बाहर" उपभोग के लिए लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर), खुदरा विक्रेता द्वारा:-	
	(क)	16.11.2021 तक	रुपये में 25 पैसे
	(ख)	17.11.2021 से प्रभावी	रुपये में 01 पैसे
	(iii)	परिसर "में" उपभोग के लिए लिकर (फॉरेन एण्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर) (होटल, क्लब और रेस्टोरेंट)	रुपये में 25 पैसे

नोट :- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 2, में अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा. 3(10)/ वित्त(राजस्व-I)/2020-21 /डीएस-VI/178 दिनांक 09-06-2020 के तहत संशोधित की गई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(रविन्द्र कुमार)
उप-सचिव I (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 2 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 3 सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)
उप-सचिव I (वित्त)